न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

अपील संख्या – 91/19

GCMS NO2019/00190

मिश्री लाल पुत्र कल्याण जाति कीर निवासी मिर्जापुर तहसील गंगापुर सिटी

अपीलांट

बनाम

1. केदार पुत्र श्योफूल
2. भरतलाल पुत्र केदार
3. मुनीम पुत्र केदार
4. मीरा पुत्री केदार सभी जातियान माली निवासीयान उमरी तहसील गंगापुर सिटी
5. लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी

रेस्पो0

(अपील विरूद्व मु0नं0 142/08 निर्णय व डिक्री दिनांक 7.2.19 न्यायालय उप जिला कलक्टर, गंगापुर सिटी)

अभिभाषक अपीला0 श्री अरविन्द कुमार अग्रवाल

अभिभाषक रेस्पो0 श्री सतीश शर्मा

राजस्व अपील अधिकारी सवाई माधोपुर (राजस्थान)

दिनांक 21.01.2025

निर्णय

प्रस्तुत अपील अपीला0 की ओर से अंतर्गत धारा 223 विरूद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 7.2.19 न्यायालय उप जिला कलक्टर, गंगापुर सिटी पेश की है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में वादी/रेस्पो0 द्वारा एक दावा बाबत विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया कि ग्राम मिर्जापुर तहसील गंगापुर सिटी मे आराजी ख0न0 830 रकबा 3 ऐयर झेरा, ख0न0 833 रकबा 4 ऐयर चाह स्थित है। जिसमे 1/5 हिस्सा वादी केदार ,वादी न0 2 ता 4 की मॉ कैलाशी व प्रतिवादी बत्तीलाल का है। इसमे से 3/10 हिस्सा प्रतिवादी किशन, 1/5 हिस्सा कल्याण , 1/5 हिस्सा इन्द्रजीत व रामस्वरूप व 1/10 हिस्सा प्रतिवादी लल्लूराम का है। कैलाशी का स्वर्गवास हो चुका है जिसका वारिस मिश्रीलाल है। इस प्रकार भूमि ख0न0 828 रकबा 91 ऐयर, 831 रकबा 1 ऐयर, 837 रकबा 3 ऐयर ग्राम मिर्जापुर मे है। जिसमे वादी केदार 1/5 हिस्सा, प्रतिवादी किशन 1/5 हिस्सा ,मिश्रीलाल 1/5 हिस्सा व इन्द्रजीत तथा रामस्वरूप 1/5 हिस्से के खातेदार टीनेन्ट है। ख0न0 834 रकबा 33 ऐयर, 840 रकबा 19 ऐयर, 841 रकबा 2 ऐयर, 842 रकबा 36 ऐयर मे प्रतिवादी बत्तीलाल 1/5 हिस्सा, अयोध्यादेवी 1/5 हिस्सा किशन 1/5 हिस्सा व इन्द्रजीत तथा रामस्वरूप 1/5 हिस्सा के खातेदार टीनेन्ट है। भूमि ख0न0 838 [illegible] वादीगण भरतलाल,मुनीम व मीरा का हिस्सा 1/5, किशन हिस्सा 17/29 [illegible] हिस्सा 12/29 अयोध्यादेवी हिस्सा 1/5 प्रतिवादी किशन 2/5 हिस्सा मिश्रीलाल 1/5 हि[illegible] तथा इन्द्रजीत ,रामस्वरूप 1/5 हिस्से

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.10.10 13:34:28 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

के खातेदार टीनेन्ट है। इस प्रकार उक्त समस्त आराजीयात ख0न0 830,833,828,831,837,834, 840,841,842,839,832 मे वादीगण एवं प्रतिवादी बत्तीलाल का 58 ऐयर हिस्सा मुताबिक जमाबंदी होता है। शेष हिस्सा प्रतिवादी न0 1 ता 7 का है। चूकि वादी न0 1 केदार व प्रतिवादी बत्तीलाल सगे भाई है। उक्त 58 ऐयर मे वादीगण 40 ऐयर व प्रतिवादी बत्तीलाल का 18 ऐयर हिस्सा है। उक्त समस्त आराजीयात का पक्षकारो ने आपसी रजामंदी से मौके पर बाहमी बंटवारा कर रखा है तथा मुताबिक बंटवारा वादीगण एवं प्रतिवादी बत्तीलाल के हिस्से मे ख0न0 832 रकबा 23 ऐयर पूरा, ख0न0 834 रकबा 33 ऐयर पूरा, व ख0न0 830 रकबा 3 ऐयर का 1/2 भाग व ख0न0 833 रकबा 4 ऐयर का 1/5 हिस्सा आया है। जिसकी वादीगण व बत्तीलाल ने अलग से डोल मेड बना रखी है व काश्त करते आ रहे है। बाकी भूमि पर प्रतिवादीगण का कब्जा काश्त चला आ रहा है । इस प्रकार वादीगण एवं प्रतिवादी बत्तीलाल ने अपने हिस्से की भूमि की अलग से डोल मेड बना रखी है। वादीगण एवं प्रतिवादी बत्तीलाल ने अपने हिस्से की भूमि का भी वाहमी तौर पर बंटवारा कर रखा है। जिसके अनुसार ख0न0 834 का रकबा 19 ऐयर जानिब पश्चिम बत्तीलाल के हिस्से मे आया है तथा ख0न0 834 रकबा 14 ऐयर जानिब पूर्व ख0न0 832 रकबा 23 ऐयर पूर्ण व ख0न0 830 रकबा 1.5 ऐयर व ख0न0 833 रकबा 1 ऐयर वादीगण के हिस्से मे आया है। वादीगण ने अपने हिस्से मे आई भूमि मे काफी पैसा लगाकर उपजाउ बनाकर रियाहशी मकान भी बना रखा है। प्रतिवादीगण के मन मे बदनियती आ जाने से वे लोग वादीगण के हिस्से की भूमि मे काश्त करने मे व्यवधान उत्पन्न करते है तथा बिना विभाजन के ही भूमि को अन्य लोगो को विक्रय करने पर आमादा है। तथा भूमि से वादीगण को बेदखल करने पर उतारू है। इस प्रकार दावा वादी बाबत विभाजन डिक्री किया जाकर भूमि ख0न0 830 रकबा 3 ऐयर, 833 रकबा 4 ऐयर, 828 रकबा 91 ऐयर, 831 रकबा 1 ऐयर, 837 रकबा 3 ऐयर, 834 रकबा 33 ऐयर, 840 रकबा 19 ऐयर, 841 रकबा 2 ऐयर, 842 रकबा 36 ऐयर, 939 रकबा 73 ऐयर, 832 रकबा 33 ऐयर ग्राम मिर्जापुर का विभाजन किया जाकर वादी के हिस्से मे उक्त ख0न0 मे से 40 ऐयर भूमि वादीगण की सहखातेदारी व कब्जे काश्त की बनती है और यह 40 ऐयर भूमि जो ख0न0 832 रकबा 23 ऐयर पूरा, ख0न0 834 रकबा 14 ऐयर जानिब पूरब, ख0न0 830 रकबा डेढ ऐयर जानिब, ख0न0 833 रकबा 1 ऐयर जानिब दक्षिण का वादीगण के नाम से अलग खाता कायम किया जावे और इसी तरह ट्रेस मे तरमीम की जावे। प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वादी के हिस्से मे आई भूमि के कब्जे मे कोई मजाहमत नही करे। इस प्रकार की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से वादीगण/रेस्पो0 द्वारा चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादीगण /रेस्पो0 का वाद पत्र स्वीकार किये जाने से व्यथित होकर अपीलांट/प्रतिवादीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय मे पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पो0 को नोटिस जारी कर तलब किया गया। बहस उभयपक्ष अभिभाषको की अपील पर सुनी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.10.10 13:34:28 IST
Reason: SelfAttested

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील मे अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा न्यायालय हाजा द्वारा दिये गये निर्णय 15.4.15 के निर्देशो की पालना नही करके

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

तथ्यो व विधि के विरूद्ध जाकर गलत आदेश पारित किया गया है। वादीगण द्वारा अधिनस्थ न्यायालय मे वाद पत्र प्रस्तुत करने से पूर्व ही अपनी भूमि ख0न0 840 व 842 मे से अन्य व्यक्ति अयोध्या देवी पत्नि गिर्राज प्रसाद महाजन प्रतिवादी संख्या 5 को दिनांक 20.5.06 को विक्रय कर दी गई। जिसका नामा0 संख्या 334 मुताबिक जमाबंदी सम्वत 2061–2064 मे खुल चुका है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आराजी ख0न0 840 व 842 मे हिस्सा 22/57 जारी कर विधि विरूद्ध तरीके से जाकर डिक्री किया गया है। क्योकि उक्त दोनो ख0न0 मे वाद पत्र प्रस्तुत करने के दिन अपीलार्थी का हिस्सा नही था उक्त हिस्सा अन्य व्यक्ति को जरिये विक्रय पत्र हस्तान्तरित हो चुका था। उक्त तथाकथित डिक्री से यह हिस्सा अन्य व्यक्तियो को चला गया है जिस कारण वादी को अपनी समस्त आराजीयात मे से अपना हिस्सा 22/57 प्राप्त नही हो सका है, इस कारण अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त योग्य है। अपीलार्थी का अपनी भूमि ख0न0 828 रकबा 0.91 है0 मे से 41/455 हिस्सा है इसी प्रकार भूमि ख0न0 830 रकबा 0.03 है0, 831 रकबा 0.01 है0, 832 रकबा 0.23 है0, 833 रकबा 0.04 है0 , 834 रकबा 0.33 है0, 837 रकबा 0.03 है0, 841 रकबा 0.02 है0 मे से हिस्सा 1/5 अपीलार्थी का है। अधिनस्थ न्यायालय ने अपनी उपरोक्त आराजीयात मे से कोई भी हिस्सा न देकर कानूनी भूल की है। जिस कारण निर्णय निरस्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी की मुख्य रास्ते व हाईवे की जमीन मे से हिससा न देकर कानूनी भूल की है। क्योकि मुताबिक न्यायालय हाजा के आदेश के प्रार्थी को वादग्रस्त भूमि का रिकार्ड मे दर्ज हिस्से अनुसार मीटस एण्ड बाउण्डस के द्वारा सरस व नरस तरीके से अच्छी व खराब तथा सडक के किनारे व अन्य तरह की भूमि से प्रत्येक सहखातेदार को उसके दर्ज हिस्से अनुसार भूमि दी जाकर अलग अलग खाता कायम किये जावे, के द्वारा भूमि नही दी जाकर तथा प्रतिवादी का पृथक से खाता भी कायम न कर कानूनी भूल की है। इस कारण अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त योग्य है। अपीलार्थी को उक्त निर्णय की जानकारी दिनांक 22.4.19 को प्राप्त हुई तब तत्काल नकल निर्णय प्राप्त की जाकर अपील जानकारी के कारण मे धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र के साथ पेश कर निवेदन है कि अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री अपास्त फरमाया जाकर प्रत्यर्थीगण को पाबन्द फरमाया जावे कि वे प्रार्थी/अपीलार्थी के कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि वर्णित मद न0 1 के कब्जे काश्त मे उपयोग, उपभोग व कृषि आदि कार्य करने मे किसी प्रकार का व्यवधान न तो स्वयं करे और ना ही किसी अन्य से करावे। तथा अपील के निस्तारण तक उपरोक्त आराजीयात के संबंध मे किसी प्रकार का नामा0 नही खोले।

रेस्पो0 के अधिवक्ता ने अपनी बहस मे तर्क दिया कि अधिनस्थ न्यायालय मे रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत दावा भूमि सहखातेदारी की भूमि है जिस पर सहखातेदारो द्वारा आपसी सहमति से बाहमी बंटवारा कर रखा है तथा उसी अनुसार काबिज ... है। परन्तु भूमि सहखातेदारी की होने से एवं अपीलांट बिना विधिवत बंटवारे कराये ... भूमि को विक्रय करने एवं रेस्पो/वादीगण को आराजीयात से बेदखल करने की धमकी दिये जाने ... के बाद बाबत बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा पेश किया गया था। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा न्यायालय हाजा के आदेश दिनांक 15.4.13 की पूर्ण रूप से पालना की जाकर विवादित आराजीयात की कब्जे अनुसार मीटस एण्ड

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.10.10 13:34:28 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील अधिकारी
सवाई माधोपुर

बाउन्डस द्वारा सरस व नरस की रिपोर्ट प्राप्त की जाकर ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय मे वादीगण एवं प्रतिवादीगण द्वारा मौका रिपोर्ट पर आपत्ति प्रस्तुत होने पर आपत्ति प्रार्थना पत्र पर जबाब प्राप्त कर बहस सुनी जाकर आपत्ति प्रार्थना पत्र का निस्तारण करते हुए विधि अनुरूप निर्णय पारित किया गया है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील अधिनस्थ न्यायालय के मुकदमा न0 142/2008 मे पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 7.2.19 के विरूद्व पेश की गई है। जिसके अवलोकन से स्पष्ट है कि उपरोक्त उनवानी दावा रेस्पो0 संख्या 1 ता 4 द्वारा अधिनस्थ न्यायालय मे पेश किया गया था जिसमे अपीलांट के साथ अन्य 8 सहखातेदार भी पक्षकार मुकदमा बतौर प्रतिवादीगण दर्ज रहे है जिसमे से प्रतिवादी संख्या 2 की मृत्यु के उपरान्त उसके वारिस 2/1 लगायत 2/6 तथा प्रतिवादी संख्या 6 की मृत्यु के उपरान्त उसके वारिस 6/1 लगायत 6/3 रहे। उक्त सभी सहखातेदारो को अपीलांट को अपनी अपील मे पक्षकार बनाया जाना आवश्यक था। परन्तु अपीलांट द्वारा उक्त अपील केवल मात्र दावे मे वादीगण के विरूद्व ही उक्त उनवानी अपील पेश की है। जो कानूनन विधि विरूद्व है। क्योकि दावे मे जो निर्णय व डिक्री पारित की गई है वह सभी सहखातेदारो वादीगण व प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी की भूमि का विभाजन करते हुए पारित की है। इसलिए यदि अपीलार्थी को अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री मे किसी प्रकार की आपत्ति थी तो उसे सम्पूर्ण निर्णय व डिक्री के साथ ही दावे मे वर्णित समस्त सहखातेदारो को पक्षकार बनाया जाना कानूनन आवश्यक था। अपीलांट द्वारा उक्त अपील केवल पार्टली रूप से दावे के वादीगण के विरूद्व प्रस्तुत की गई है जबकि दावा विभाजन भूमि का होने के कारण यदि अपील मे कोई निर्णय पारित किया जाता है तो वह डिक्री मे वर्णित अन्य सहखातेदारो के अधिकार भी प्रभावित करेगा। इस प्रकार अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील नॉन जोइन्डर /मिस जोइन्डर आफ पार्टीज के नुक्श के कारण चलने योग्य नही है। अतःअपीलांट की अपील प्रारंभिक स्तर पर ही खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष अधिवक्तागणो की बहस पर मनन किया। अपीलाधीन आदेश एवं अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। जिससे यह तथ्य सामने आये कि वादी/रेस्पो0 द्वारा अधिनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत वाद पत्र भूमि संयुक्त खातेदारी की होने के कारण विभाजन हेतु प्रस्तुत किया गया था। चूकिः उक्त आराजीयात के बाबत एक अपील इस न्यायालय मे पूर्व मे दिनांक 15.4.13 को निर्णित कर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को भूमि के बंटवारे बाबत मीटस एण्ड बाउन्डस के आधार पर एवं मौके एवं कब्जे की स्थिति को देखते हुए पुनः करेजात प्राप्त कर विधि सम्मत निर्णय पारित करने हेतु निर्देशित किया गया था। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा इस न्यायालय के आदेश की पालना मे तहसीलदार से मीटस एण्ड बाउन्डस के आधार पर सरस नरस की मौका रिपोर्ट प्राप्त की गई। प्राप्त रिपोर्ट पर वादीगण द्वारा आपत्ति दर्ज करने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादीगण / प्रतिवादीगण को सुना जाकर आपत्ति प्रार्थना पत्र को निस्तारण किया जाकर अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। परन्तु रेस्पो0 द्वारा इस न्यायालय मे प्रस्तुत आपत्ति प्रार्थना पत्र मे अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील केवल मात्र मिश्रीलाल के द्वारा प्रस्तुत कर अपीलाधीन आदेश को निरस्त कराने की प्रार्थना की गई है। चूकिः भूमि संयुक्त खातेदारी की आराजीयात है। जिस पर प्रत्येक सहखातेदार का हित निहित होता है

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2023.10.10 13:44:28 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

इस प्रकार अपीलांट द्वारा केवल मात्र वादीगण/रेस्पो0 को पक्षकार बनाया गया है। जबकि भूमि मे अन्य सहखातेदारो का भी हित निहित है। इस प्रकार अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज योग्य है।

अतः अपील अपीलांट खारिज योग्य होने से खारिज की जाती है तथा अपीलांट नये सिरे से अपील पेश करने हेतु स्वतंत्र है।

निर्णय आज दिनांक 21.01.2025 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(लक्ष्मीकांत बालोत)
राजस्व अपील प्राधिकारी

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.10.10 13:34:28 IST
Reason: SelfAttested